संख्या-521/2017/1828/22-2-2016-17(172)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 06 जुलाई, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पृथ्वीराज पुत्र श्री हीरालाल, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06.09.2016) दिनांक-26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पृथ्वीराज पुत्र श्री हीरालाल, 28/1 प्रतापपुरा, थाना प्रेमनगर, जनपद-झांसी का निवासी है। घटना से कुछ समय पहले झगडे के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 28.10.2001 को प्रात: 09.00 बजे पिस्टल से गोली मारकर तथा सिर में पत्थर मारकर अरविन्द की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-59/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 30-04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2012 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.06.2016 तक 14 वर्ष 06 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 07 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी की आयु-42 वर्ष है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, जिसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा की गयी है। बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पृथ्वीराज पुत्र श्री हीरालाल, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजू उर्फ पृथ्वीराज (बन्दी संख्या-9856) पुत्र श्री हीरालाल, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-521/2017/1828(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झांसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-521/2017/1828@22-2-2016-17(172)/2007

दिनांक 06 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी राजू उर्फ पृथ्वीराज (बन्दी संख्या-9856) पुत्र श्री हीरालाल, 28/1 प्रतापपुरा, थाना प्रेमनगर, जनपद-झांसी का निवासी है। का निवासी है। घटना से कुछ समय पहले झगडे के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 28.10.2001 को प्रात: 09.00 बजे पिस्टल से गोली मारकर तथा सिर में पत्थर मारकर अरविन्द की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-59/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 30-04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2012 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.06.2016 तक 14 वर्ष 06 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 07 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी की आयु-42 वर्ष है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, जिसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा की गयी है। बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पृथ्वीराज पुत्र श्री हीरालाल, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।